न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 266 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 428

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
धारूराम पुत्र भीमाराम जाति मेधवाल निवासी कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री सांवलराम मेधवाल अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।

आदेश

दिनांक 20.12.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1274 / 242 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तहसील आन–लाईन कार्य के दौराने विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत जाकर कर दी गई। जिसके कारण प्रार्थी को क्षति हो रही है,क्योंकि प्रार्थी का खरीदशुदा भूमि ग्रामीण सड़क के लगती है तथा उसीनुसार मौका पर काबिज है,लेकिन लटढा नक्शा में तरमीम मौका स्थिति के विपरीत कर दरी गई है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर परिशिष्ट अ में दर्शित बरंग लाल मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया।

3.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1274 / 242 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थी का वक्त खरीद से आदिनांक मौके पर कब्जा शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तहसील आन–लाईन कार्य के दौराने मौका कब्जा स्थिति के विपरीत कर दी गई,जबकि प्रार्थी का कब्जा ग्रामीण सड़क के लगते आ रहा है,लेकिन वर्तमान लटढा नक्शा में प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम रास्ता में दर्ज भूमि के स्थान पर की गई है तथा रास्ता भूमि खसरान की तरमीम प्रार्थी की भूमि स्थान पर की गई है,जबकि नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि विदयमान तरमीम मौका स्थिति के विपरीत की गई है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा विवादित आराजी की तरमीम पक्षकारान को बिना सूचित किए व बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उपरांत भी रद्दोबदल कर दी गई,जिसकी हल्का पटवारी को कोई वैधानिक अधिकारी प्राप्त नहीं था,लेकिन उसके उपरांत भी तरमीम मौका एवं रिकॉर्ड स्थिति के विपरीत लटढा नक्शा में कर दी गई,जो कि प्रार्थी के हितो के साथ भारी कुठराधात किया गया है। अपनी बहस को जारी रखते हूए आगे ओर निवेदन किया कि विवादित आराजी की तरमीम मौका रिपोर्ट के मुताबिक दुरूस्त की जाती है,तो प्रार्थी को आपति नहीं है।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार द्वारा बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने पर आपति नही है।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 910/242 रकबा 43.11 बीधा के तत्कालीन खातेदार प्रतापराम पुत्र दानाराम कौम ढोली सा.देह खातेदार से प्रार्थी द्वारा 01 बीधा भूमि खरीद की गई,जो कि नामान्तकरण संख्या 1358 के द्वारा खसरा संख्या 1274/242 रकबा 1.00 बीधा कायम हुए,जो कि नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति अवलोकन से स्पष्ट है तथा विवादित आराजी का वर्तमान भू नक्शा अवलोकन से भी प्रतीत होता है कि खसरा संख्या 1274/242 व 1992/1950 की विदयमान तरमीम गलत हो रखी है,क्योकि खसरा संख्या 1992/1950 किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज है,जबकि नक्शा अवलोकन से चौकस तरमीम होना प्रतीत होता है तथा खसरा संख्या 1274/242 की तरमीम रास्ता की तरह होना प्रतीत होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित खसरान की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत की गई है। तहसीलदार कल्याणपुर ने भी उक्त तथ्यो की ताईद करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि लटढा नक्शा में तरमीम करते समय प्रार्थी के खसरा संख्या 1274/242 की तरमीम कब्जानुसार नहीं होकर सहवन से खसरा संख्या 1992/1950 के स्थान पर कर दी गई एवं खसरा संख्या 1992/1950 की तरमीम खसरा संख्या 1274/242 के स्थान पर कर दी गई है। इस प्रकार विवादित आराजी की तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा भी अपनी जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्त किए जाने की अनुशंषा की गई है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की नक्शें में खसरा संख्या 1274/242 के स्थान पर खसरा संख्या 1992/1950 एवं खसरा संख्या 1992/1950 के स्थान पर 1274/242 परिशिष्ट **स** मुताबिक दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। मौका रिपोर्ट में दर्शित परिशिष्ट स नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार दुरूस्ती किया जाना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20.12.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा 20/12/2024